कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़

पत्रांक / मान्यता / 17293-17313 /2017–18 दिनांक 17/4/18

प्रबंधक

एन0आर0एस0 इंटरनेशनल स्कूल

विश्वनाथगंज,प्रतापगढ़

विषय:–नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार का अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र सम्बन्धी।

महोदय / महोदया,

आप के तारीख 04.08.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण / के प्रतिनिर्देश से मैं एन0आर0एस0 इंटरनेशनल स्कूल विश्वनाथगंज,प्रतापगढ़ को दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये प्री0 प्राइमरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

1 – मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रुप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बद्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 – विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 – विद्यालय कक्षा 1 में(या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4 – पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 – सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्ययीन नहीं करेगा।

6 – विद्यालय किसी बालक को ,उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। एवं विद्यालय निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करेगा।

(1)– प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक,किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(2)– किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्ययीन नहीं किया जायेगा।

(3)– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई भी बोर्ड परीक्षा,उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

(4)– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये विवंधन के अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)– अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6)– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और है कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है,पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।

(7)– अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

(8)– अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7 – विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8 – विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।

MANAGER
N.R.S. International School
Vishwanathganj, Pratapgarh

Principal
N.R.S. International School
Vishwanathganj, Pratapgarh

CamScanner

कार्यालय –जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़, उ0 प्र0।

पत्रांक संख्या / 6717 /2018–19 -20 दिनांक–20-09-2019

To,

The Secretary,

C.B.S.E. Delhi

Subject :- N.O.C. for the up gradation of the school up to higher secondary level.

It is certified that **N.R.S. INTERNATIONAL SCHOOL**, Vishwanathganj, Pratapgarh, U.P. is a recognized school functioning under recognition no. :- **Manyata/17297-17303/2017-18** on **dated 17-01-2018** by **Basic Shiksha Parisad, U.P.** The classes in the institution are going on properly from class 1st to 8th from 2018. The school management intimated to office for the up gradation of the institute up to higher secondary (Class. 9th to 10th) level, and want to be affiliated with **C.B.S.E. Board , New Delhi.**

If **C.B.S.E.** provides affiliation to the concerning institute for the above purpose, the **department has no any objection**.

Signature with seal ...जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ... 20-09-2019

Name of officer :..आर0 एन0 कुमार सिंह

Designation .जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़

MANAGER
N.R.S. International School
Vishwanathganj, Pratapgarh

Principal
N.R.S. International School
Vishwanathganj, Pratapgarh

CamScanner